

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 565 / 2019-20

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी																																																								
	आवेदक चामु मुण्डा पिता स्व० ठाय मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम—हॉफू कम्बाटोली, थाना — कामडारा जिला— गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>क्र०</th><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना संख्या</th><th>संख्या खाता</th><th>प्लॉट संख्या</th><th>रकबा (एकड़)</th><th>किस्म जमीन</th></tr><tr><td>1</td><td>हॉफू</td><td>97</td><td>71</td><td>1148</td><td>0.07 एकड़</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>हॉफू</td><td>97</td><td>71</td><td>1154</td><td>0.13 एकड़</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>हॉफू</td><td>97</td><td>71</td><td>1155</td><td>0.10 एकड़</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>हॉफू</td><td>97</td><td>72</td><td>1704</td><td>0.27 एकड़</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>हॉफू</td><td>97</td><td>72</td><td>1705</td><td>0.26 एकड़</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>हॉफू</td><td>97</td><td>72</td><td>1706</td><td>0.07 एकड़</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>हॉफू</td><td>97</td><td>73</td><td>912</td><td>0.47 एकड़</td><td></td></tr></table> कुल रकबा 1.37 एकड़ (एक एकड़ सैतीस डिसमील) चौहद्दी :- (1) उत्तर — परती पत्थर । दक्षिण — जोहन मुण्डास । पूरब — पुना मुण्डा । पश्चिम —हीगडु मुण्डा । (2) उत्तर — परती । दक्षिण — एतवा मुण्डा । पूरब — परती । पश्चिम —एवता मुण्डा । (3) उत्तर — परती । दक्षिण — एतवा मुण्डा । पूरब — परती । पश्चिम —एवता मुण्डा । (4)(5)(6) उत्तर — नीज । दक्षिण — परती । पूरब — परती । पश्चिम —एवता मुण्डा । (7) उत्तर — भरत साहु । दक्षिण — बुढू साहु ।	क्र०	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन	1	हॉफू	97	71	1148	0.07 एकड़		2	हॉफू	97	71	1154	0.13 एकड़		3	हॉफू	97	71	1155	0.10 एकड़		4	हॉफू	97	72	1704	0.27 एकड़		5	हॉफू	97	72	1705	0.26 एकड़		6	हॉफू	97	72	1706	0.07 एकड़		7	हॉफू	97	73	912	0.47 एकड़		
क्र०	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन																																																				
1	हॉफू	97	71	1148	0.07 एकड़																																																					
2	हॉफू	97	71	1154	0.13 एकड़																																																					
3	हॉफू	97	71	1155	0.10 एकड़																																																					
4	हॉफू	97	72	1704	0.27 एकड़																																																					
5	हॉफू	97	72	1705	0.26 एकड़																																																					
6	हॉफू	97	72	1706	0.07 एकड़																																																					
7	हॉफू	97	73	912	0.47 एकड़																																																					

पूरब - बुधु मुण्डा व बुदू साहु। पश्चिम - मरियम मुण्डाईन
जमीन विक्रेता की विवरणी

आवेदक - चामु मुण्डा पिता स्व० ठाय मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम- हॉफू
कम्बाटोली, थाना - कामडारा जिला- गुमला

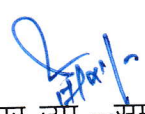
जमीन केता की विवरणी

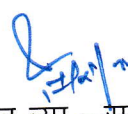
केता - मरियम मुण्डाईन पति श्री सुले मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम- हॉफू थाना -
कामडारा जिला- गुमला

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता मरियम मुण्डाईन पति श्री सुले मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम- हॉफू थाना - कामडारा जिला- गुमला को राशि रुपये 1,00,000 (एक लाख) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता पड़ने पर आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, कामडारा के कार्यालय के पत्रांक:- 97 दिनांक:- 19/03/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ती दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उराँव के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक चामु मुण्डा पिता स्व० ठाय मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम- हॉफू कम्बाटोली, थाना - कामडारा जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)